

रिज़र्व बैंक ने लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के व्यापक उद्देश्यों का पालन करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों को गैर-विघटनकारी तरीके से प्रबंधित करना जारी रखा। 2025-26 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की प्रतिफल और समस्त बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में कमी आई। केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता में भी कमी आई है। वर्ष के दौरान सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) और अति दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ जारी करना जारी रहा।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आईडीएमडी) को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत केंद्र सरकार (खंड 20 और 21), 28 राज्य सरकारों और तीन¹ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) [खंड 21ए] के घरेलू ऋण के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खंड 17(5) के अनुसार, उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों को पाटने के लिए तीन महीने तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है।

VII.2 2025-26 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम को गैर-विघटनकारी तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया, जिसके तीन व्यापक उद्देश्य हैं, अर्थात् लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास। 2025-26 के दौरान, दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत यील्ड में 27 आधार अंकों (बीपीएस) की कमी आई। केंद्र सरकार ने 2025-26 के दौरान एसजीआरबी और अति-दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का निर्गमन जारी रखा।

VII.3 अध्याय का शेष भाग तीन खंडों के तहत व्यवस्थित किया गया है। खंड 2 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रमुख विकास के साथ-साथ 2025-26 के एजेंडे के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है।

खंड 3 में 2026-27 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है, जिसके बाद अंतिम खंड में निष्कर्ष है।

2. 2025-26 के लिए एजेंडा

VII.4 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल/एप्लिकेशन (पैराग्राफ VII.5) के तहत खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध बोली और भुगतान विकल्पों का विस्तार करना; तथा
- डीमैट खातों और खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खातों के बीच जी-सेक के निर्बाध हस्तांतरण के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) सुविधा का विस्तार करना (पैराग्राफ VII.6)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.5 आरबीआई के 'रिटेल डायरेक्ट' में ट्रेजरी बिल (टी -बिल्स) के लिए एक ऑटो-बिडिंग सुविधा शुरू की गई है, जिसमें निवेश और दोबारा निवेश, दोनों विकल्प शामिल हैं। इससे निवेशकों को टी -बिल्स की प्राइमरी नीलामी में अपने बिड (बोलियाँ) अपने-आप लगाने का निर्देश देने में मदद मिलेगी।

VII.6 एपीआई को इसलिए चालू किया गया है ताकि खुदरा निवेशकों के पास मौजूद जी - सेक का, आरडीजी खातों और

¹ 5 जनवरी, 2026 को, आरबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता किया।

सेबी द्वारा विनियमित डिपॉजिटरी (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड) में रखे गए डी मैट खातों के बीच, बिना किसी शुल्क के और आसानी से ट्रांसफर किया जा सके।

प्रमुख गतिविधियां

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.7 जबकि दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) की सकल बाजार उधारी 4.3 प्रतिशत अधिक थी, शुद्ध बाजार उधार 2024-25 की तुलना में 2025-26 में 2.6 प्रतिशत कम थी। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाजार उधार वर्ष के दौरान 0.2 प्रतिशत अधिक थे (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंध परिचालन

VII.8 वर्ष के दौरान जारी किए गए जी-सेक की भारित औसत प्रतिफल में 27 बीपीएस की कमी आई और पूरे बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में पिछले वर्ष की तुलना में 8 बीपीएस की कमी आई (सारणी VII.2)। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता में कमी आई जबकि बकाया ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हुई।

VII.9 पिछले वर्ष में दो मामलों के मुकाबले 2025-26 के दौरान प्राथमिक डीलरों (पीडी) पर हस्तांतरण का कोई उदाहरण नहीं था। वर्ष के दौरान, ₹16,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए सभी बोलियों को अस्वीकार करने के दो उदाहरण थे (2024-25 में ऐसे एक उदाहरण की तुलना में)।

VII.10 वर्ष के दौरान जी-सेक उपज वक्र में वृद्धि हुई। मौद्रिक नीति में ढील, रिज़र्व बैंक के चलनिधि अंतर्वेशन उपायों और एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के परिप्रेक्ष्य में अल्पकालिक प्रतिफल में नरमी आई जबकि मध्यम अवधि और दीर्घकालिक प्रतिफल ने भू-राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि के बीच अन्य देशों में सॉवरेन यील्ड के ट्रैकिंग मूवमेंट को सख्त कर दिया। कुल मिलाकर, 10-वर्ष का प्रतिफल 2025-26 में 49 बीपीएस तक कठोर हो गया (चार्ट VII.1)।

VII.11 2025-26 के दौरान, बाजार से लिए गए ऋण का लगभग 50.9 प्रतिशत हिस्सा, 10 वर्ष या उससे अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाया गया; जबकि पिछले वर्ष यह आँकड़ा 55.3 प्रतिशत था (तालिका VII.3)।

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की बाजार उधारी

(₹ करोड़)

मद	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5
दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार	14,21,000 (5.4)	15,43,000 (5.3)	14,00,697 (4.4)	14,61,000 (4.2)
निवल बाजार उधार (i से iv)	11,74,375 (4.5)	12,28,805 (4.2)	10,81,598 (3.4)	10,84,162 (3.1)
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ [®]	11,08,261	11,80,456	11,62,879	11,32,834
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	-23,798	20,164	72,713	-52,936
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	52,426	15,982	-55,896	13,596
iv) 364-दिवसीय टी-बिल	37,487	12,203	-98,098	-9,333

@: बायबैक/स्विच के लिए एडजस्ट किए बिना। बाई बैक / स्विचेस के लिए समायोजित करने के बाद, 2025-26 के दौरान निवल बाजार उधार ₹9,85,637 करोड़, वर्ष 2025-26 में ₹9,93,233 करोड़, 2023-24 में ₹12,26,101 करोड़, 2022-23 में ₹11,71,951 करोड़ रहा।

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी का प्रतिशत हैं।

2. संख्याओं को पूर्णांकित करने की वजह से कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग नहीं हो सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई, यूनिन बजट (भारत सरकार) और एमओएसपीआई।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाज़ार ऋण - एक रूपरेखा *

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राइमरी इश्यू में कट ऑफ प्रतिफल की रेंज			वर्ष के दौरान जारी किया गया [^]			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्षों से अधिक	भारत औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा [@]	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26
2023-24	6.89-7.39	6.98-7.40	7.07-7.57	7.24	3-50	18.09	12.54	7.29
2024-25	6.61-7.25	6.69-7.19	6.78-7.34	6.96	3-50	20.66	13.24	7.25
2025-26	5.69-6.47	6.01-6.72	6.50-7.49	6.69	3-50	18.88	13.70	7.17

@: नई जारी की गई प्रतिभूतियों की मूल परिपक्वता और पुनः जारी की गई प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता।

*: स्पेशल सिक्योरिटीज़ को छोड़कर | ^: स्विच ऑक्शन को छोड़कर।

स्रोत: आरबीआई।

ट्रेजरी बिल (टी-बिल)


VII.12 भारत सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को टी-बिल जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाता है। 2025-26 के दौरान, टी-बिल का शुद्ध अल्पकालिक निर्गमन पिछले वर्ष में ₹ (-) 81, 281 करोड़ की तुलना में ₹ (-) 48,672 करोड़ रुपये था।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.13 वाणिज्यिक बैंक जी-सेक [टी-बिल्स और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, जो 34.6 प्रतिशत (मार्च 2026 के अंत तक) के लिए उत्तरदायी थे, इसके बाद बीमा कंपनियों (24.0 प्रतिशत), भविष्य निधि (10.9 प्रतिशत) और रिज़र्व बैंक (10.9 प्रतिशत) का स्थान था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी 1.8 फीसदी रही।

प्राथमिक डीलर (पीडी)

VII.14 पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 स्टैंडअलोन पीडी (एसपीडी)] थी, जिसमें दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामी को अंडरराइट करने का अधिदेश था और टी-बिल/नकद प्रबंधन बिलों की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य था। 2025-26 के दौरान अंडरराइटिंग के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) सहित पीडी को भुगतान किया गया कमीशन पिछले वर्ष में ₹15.8 करोड़ से बढ़कर ₹86.3 करोड़ हो गया। औसत सफलता अनुपात पहली छमाही :2025-26 में 62.4 प्रतिशत और दूसरी छमाही:2025-26 में 70 प्रतिशत था। टी-बिल की



सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम – परिपक्वता स्वरूप

(राशि लाख करोड़ रुपये में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 वर्ष से कम	2.7	19.0	2.5	16.5	1.9	13.4	2.3	16.0
5-9.99 वर्ष	4.6	32.1	4.8	31.4	4.4	31.3	4.8	33.1
10-14.99 वर्ष	2.9	20.1	2.8	17.8	2.1	15.5	2.5	17.4
15 वर्ष और उससे अधिक	4.1	28.8	5.3	34.3	5.6	39.8	4.9	33.5
कुल	14.2	100.0	15.4	100.0	14.0	100.0	14.6	100.0

टिप्पणी: संख्याओं को पूर्णांकित करने की वजह से कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग नहीं हो सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

नीलामी में पीडी को आवंटित राशि का हिस्सा पिछले वर्ष के दौरान 74.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 के दौरान 76.1 प्रतिशत हो गया।

फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (कर योग्य) [एफआरएसबी 2020 (टी)] योजना

VII.15 2025-26 के दौरान, एफआरएसबी 2020 (टी) जारी करके ₹12,476 करोड़ जुटाए गए; जिसमें से ₹1,067 करोड़ रिजर्व बैंक के 'रिटेल डायरेक्ट' के माध्यम से जुटाए गए थे।

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

VII.16 भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) सीमा 2025-26 की पहली छमाही और दूसरी छमाही के लिए क्रमशः ₹1.5 लाख करोड़ और ₹0.5 लाख करोड़ तय की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अधिशेष में रही। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान आठ दिनों की तुलना में 2025-26 के दौरान एक दिन के लिए डबल्यूएमए का सहारा लिया (चार्ट VII.2)।


विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के तहत निवेश

VII.17 रिजर्व बैंक चुनिंदा विदेशी केंद्रीय बैंकों और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से द्वितीयक बाजार में भाग लेकर भारतीय जी-सेक में निवेश करता है। 2025-26 के दौरान योजना के अंतर्गत लेनदेन की गई कुल मात्रा पिछले वर्ष में ₹730 करोड़ (फेस वैल्यू) से बढ़कर ₹735 करोड़ (फेस वैल्यू) हो गई।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.18 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार उधार की हिस्सेदारी 2024-25 (आरई) में 71.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 (बीई) में 76.3 प्रतिशत हो गई।

VII.19 2025-26 में राज्यों की सकल बाजार उधारी तिमाही सांकेतिक कैलेंडर में दर्शाई गई राशि का 95.1 प्रतिशत थी। 2025-26 में 1,055 जारी किए गए थे; इनमें से 217 पुनः जारी किए गए थे (2024-25 में 835 निर्गम, जिनमें से 100 पुनः जारी किए गए थे) [सारणी VII.4]।



सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों की बाजार उधारी

(₹ करोड़)

मद	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	2	3	4	5
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृति	8,80,779	11,29,295	11,73,714	13,63,263
वर्ष के दौरान जुटाई गई कुल राशि	7,58,392	10,07,058	10,73,310	12,76,430
वर्ष के दौरान मोचन	2,39,562	2,89,918	3,19,965	3,72,543
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	5,18,830	7,17,140	7,53,345	9,03,887
साल के दौरान जुटाई गई रकम कुल संस्वीकृति में (प्रतिशत में)	86.1	89.2	91.4	93.6
बकाया (पीरियड के आखिर में) #	49,29,083	56,46,222	63,99,567	73,03,451

#: इसमें उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) बॉन्ड और दूसरी विशिष्ट प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआईएल।

VII.20 2025-26 के दौरान एसजीएस निर्गमों की भारित औसत कट-ऑफ प्रतिफल पिछले वर्ष के 7.20 प्रतिशत से बढ़कर 7.32 प्रतिशत हो गया (सारणी VII.5)। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलनीय परिपक्वता पर एसजीएस निर्गमों का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएस) पिछले वर्ष के 30 बीपीएस से बढ़कर 2025-26 में 50 बीपीएस हो गया। 2025-26 में, 27 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 से 38 वर्ष तक की 10 वर्षों के अलावा अन्य अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं। 2025-26 में 10-वर्ष की अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य प्रसार 8 बीपीएस था, जबकि 2024-25 में 4 बीपीएस था।

VII.21 2025-26 के दौरान, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठाया है, 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया है और 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश कुछ मौकों पर ओवरड्राफ्ट में थे।

VII.22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 14-दिवसीय इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिलों (आईटीबी) में बकाया निवेश, जो अधिशेष नकदी संतुलन को दर्शाता है, में 2025-26 के दौरान बढ़ा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा का उपयोग करते हुए प्राथमिक नीलामी के माध्यम से नीलामी ट्रेजरी बिलों (एटीबी) में भी निवेश किया (सारणी VII.6)।

सारणी VII.5: राज्य सरकार के बाजार ऋण - एक प्रोफाइल*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

साल	प्राथमिक इश्यू में कट ऑफ प्रतिफल की सीमा			वर्ष के दौरान जारी			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्षों से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा®	भारित औसत प्रतिफल	भारित औसत प्रतिफल	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019-20	5.78-7.80	6.03-8.23	6.88-8.20	7.24	2-40	11.02	7.05	8.03
2020-21	4.15-6.76	5.30-8.31	6.40-8.96	6.55	2-35	11.56	7.37	7.70
2021-22	4.69-6.58	5.96-7.36	6.78-7.48	6.98	2-35	12.86	7.68	7.54
2022-23	6.94-7.63	7.11-7.95	7.29-8.10	7.71	2-35	13.86	8.08	7.53
2023-24	7.16-7.58	7.18-7.78	7.29-7.81	7.52	2-40	13.98	8.63	7.49
2024-25	6.75-7.23	6.95-7.55	7.04-7.53	7.20	1-35	14.30	9.08	7.42
2025-26	6.00-7.40	6.22-7.87	6.64-8.09	7.32	2-38	14.87	9.62	7.37

*: विशिष्ट प्रतिभूतियों को छोड़कर।

@: नई जारी की गई प्रतिभूतियों की मूल परिपक्वता और पुनः जारी की गई प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VII.6: राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
(आईटीबी)	2,16,272	2,12,758	2,66,805	1,88,072	2,05,998
एटीबी	87,400	58,913	51,258	88,781	63,409
कुल	3,03,672	2,71,671	3,18,063	2,76,853	2,69,407

स्रोत: आरबीआई।

कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (सीएसएफ)/गारंटी रिडेम्पशन फंड (जीआरएफ) और बजट स्थिरीकरण फंड (बीएसएफ) में निवेश

VII.23 रिज़र्व बैंक सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से तीन आरक्षित निधियों का प्रबंधन करता है, अर्थात्, सीएसएफ (26 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश), जीआरएफ (25 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश) और बीएसएफ (दो राज्य)। मार्च 2026 के अंत तक सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः 2,66,224 करोड़ रुपये और 51,992 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 के अंत में क्रमशः 2,40,348 करोड़ रुपये और 16,019 करोड़ रुपये था। मार्च, 2026 के अंत तक बीएसएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश मार्च 2025 के अंत में क्रमशः 23,193 करोड़ रुपये और 20,890 करोड़ रुपये था।

VII.24 2025-26 के दौरान, आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नकदी और ऋण प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में नकदी और ऋण प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई।

VII.25 रिज़र्व बैंक राज्यों को उनके बाज़ार उधारों के लिए 'बेंचमार्क इश्यूअंस स्ट्रैटेजी' (बीआईएस) अपनाने के प्रति जागरूक करता रहा है, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और

निवेशकों को ज्यादा स्पष्टता मिल सके। इस रणनीति के तहत, पहले से घोषित कैलेंडर के अनुसार, विशिष्ट बेंचमार्क अवधि वाले समूहों में प्रतिभूतियाँ जारी की जाएँगी। राज्य सरकारों से मिली सहमति के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि 2026-27 से शुरू करते हुए। नौ² राज्य सरकारों के लिए पायलट आधार पर वगे बीआईएस को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

VII.26 रिज़र्व बैंक राज्यों को एक मध्यम-अवधि ऋण प्रबंधन रणनीति (एमटीडीएस)³ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, जिसमें मूल रूप से एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन रणनीति का विकास शामिल होगा, जो लागत/जोखिम के बीच संतुलन (ट्रेड-ऑफ) के संबंध में सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

3. 2026-27 के लिए एजेंडा

VII.27 2026-27 के दौरान, समग्र ऋण प्रबंधन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक लक्ष्य के साथ बाजार उधार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है:

- जी-सेक, टी-बिल और एसजीएस में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली के लिए मौजूदा योजनाओं की व्यापक समीक्षा;
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत 'रिटेल डायरेक्ट' होल्डिंग्स की ऑनबोर्डिंग; तथा
- शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बेंचमार्क जारी करने की रणनीति अपनाने के लिए संवेदनशील बनाना, जिसे पहले ही नौ राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जा चुका है।

4. निष्कर्ष

VII.28 वर्ष के दौरान, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारी सफलतापूर्वक पूरी की गई। 2026-27 के लिए बाजार उधार कार्यक्रम को सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों और उभरती बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा।

² आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

³ इसमें मौजूदा ऋण पोर्टफोलियो का व्यापक मूल्यांकन, इसकी संरचना (आंतरिक बनाम बाहरी, अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक), ऋण सेवा प्रोफाइल और कमजोरियों का आकलन शामिल है। यह रणनीति ऋण संरचना में समायोजन करने, पहचाने गए जोखिमों को दूर करने और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऋण साधनों की संरचना में संशोधन करने का सुझाव देती है।